Mail-ID- upjnrprayagraj@upjn.co.in मो0.नं0. 9473942662

उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
खण्ड कार्यालय,तुलापुर पानी की टंकी, झूँसी,प्रयागराज।

पत्रांक 1124 / W-19 / 328 दिनांक 26.05.2026

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषयः— ई— दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक 25.05.2026 को प्रकाशित खबर ''स्वच्छ जल पहुंचाने में लापरवाही तो होगी कार्रवाई'' के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई—दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक 25.05.2026 को प्रकाशित खबर **''स्वच्छ जल पहुंचाने में लापरवाही तो होगी कार्रवाई''** शीर्षक के सम्बन्ध में अवगत कराना है मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज द्वारा जल जीवन मिशन योजनाओं की समीक्षा के दौरान कार्यों में विलंब, जलापूर्ति बाधाओं, विद्युत संयोजन, भूमि उपलब्धता, लीकेज एवं रोड रेस्टोरेशन संबंधी समस्याओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

इस संबंध में निम्नानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है—

1. जनपद अंतर्गत संचालित समस्त जल जीवन मिशन योजनाओं की दैनिक समीक्षा की जा रही है तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण कराने हेतु कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है।
2. जिन योजनाओं में विद्युत संयोजन लंबित है, वहां आवश्यक धनराशि जमा कर विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए शीघ्र संयोजन की कार्यवाही कराई जा रही है।
3. भूमि विवाद/भूमि उपलब्धता से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण हेतु संबंधित उपजिलाधिकारी स्तर पर बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है।
4. योजनाओं के पाइप लाइन लीकेज, मोटर खराबी एवं वितरण नेटवर्क संबंधी शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराया जा रहा है तथा संबंधित एजेंसियों को निगरानी हेतु निर्देशित किया गया है।
5. इंटेकवेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP), सीडब्ल्यूआर एवं पाइपलाइन कार्यों की प्रगति में तेजी लाने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की गई है।
6. रोड रेस्टोरेशन कार्यों में गुणवत्ता सुधार हेतु संबंधित फर्मों को वर्षा ऋतु से पूर्व कार्य पूर्ण कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
7. जन सारथी एप के व्यापक प्रचार—प्रसार हेतु निर्देशित किया गया है ताकि ग्रामीण जनता अपनी पेयजल संबंधी शिकायतों/समस्याओं को सीधे दर्ज करा सके।
8. प्रत्येक राजस्व ग्राम में एफटीके (Field Test Kit) उपयोगकर्ता महिलाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रशिक्षित एवं किट वितरित कराने की कार्यवाही प्रचलित है।
9. संबंधित अधिकारियों को फील्ड भ्रमण कर योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा जलापूर्ति की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
10. विभागीय स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी ग्राम में पेयजल आपूर्ति बाधित न हो तथा शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही की जाए।
11. जल जीवन मिशन अंतर्गत नियुक्त TPIA को निर्देशित किया जाता है कि योजनाओं का नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण निरीक्षण सुनिश्चित करने तथा कार्यों की गुणवत्ता, प्रयुक्त सामग्री, पाइपलाइन टेस्टिंग, इलेक्ट्रो—मैकेनिकल उपकरणों एवं जियो—टैग्ड अभिलेखों का सत्यापन कर निर्धारित समयावधि में निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने एवं गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर तत्काल विभाग को अवगत कराया जाए।

अतः अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन अंतर्गत समस्त कार्यों की सतत निगरानी की जा रही है एवं प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(एस0एस0 परमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्त—

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2— मुख्य अभियन्ता(का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
2— अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
3— मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज ।
4— अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज।
5— जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज।

अधिशासी अभियन्ता

Mail-ID- upjnrprayagraj@upjn.co.in मो0.नं0. 9473942662

उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
खण्ड कार्यालय,तुलापुर पानी की टंकी, झूँसी,प्रयागराज।

पत्रांक 1124 / W-19 / 328 दिनांक 26.05.2026

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषयः– ई– दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक 25.05.2026 को प्रकाशित खबर ''स्वच्छ जल पहुंचाने में लापरवाही तो होगी कार्रवाई'' के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई–दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक 25.05.2026 को प्रकाशित खबर **''स्वच्छ जल पहुंचाने में लापरवाही तो होगी कार्रवाई''** शीर्षक के सम्बन्ध में अवगत कराना है मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज द्वारा जल जीवन मिशन योजनाओं की समीक्षा के दौरान कार्यों में विलंब, जलापूर्ति बाधाओं, विद्युत संयोजन, भूमि उपलब्धता, लीकेज एवं रोड रेस्टोरेशन संबंधी समस्याओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

इस संबंध में निम्नानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है–

1. जनपद अंतर्गत संचालित समस्त जल जीवन मिशन योजनाओं की दैनिक समीक्षा की जा रही है तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण कराने हेतु कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है।
2. जिन योजनाओं में विद्युत संयोजन लंबित है, वहां आवश्यक धनराशि जमा कर विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए शीघ्र संयोजन की कार्यवाही कराई जा रही है।
3. भूमि विवाद/भूमि उपलब्धता से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण हेतु संबंधित उपजिलाधिकारी स्तर पर बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है।
4. योजनाओं के पाइप लाइन लीकेज, मोटर खराबी एवं वितरण नेटवर्क संबंधी शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराया जा रहा है तथा संबंधित एजेंसियों को निगरानी हेतु निर्देशित किया गया है।
5. इंटेकवेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP), सीडब्ल्यूआर एवं पाइपलाइन कार्यों की प्रगति में तेजी लाने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की गई है।
6. रोड रेस्टोरेशन कार्यों में गुणवत्ता सुधार हेतु संबंधित फर्मों को वर्षा ऋतु से पूर्व कार्य पूर्ण कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
7. जन सारथी एप के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु निर्देशित किया गया है ताकि ग्रामीण जनता अपनी पेयजल संबंधी शिकायतों/समस्याओं को सीधे दर्ज करा सके।
8. प्रत्येक राजस्व ग्राम में एफटीके (Field Test Kit) उपयोगकर्ता महिलाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रशिक्षित एवं किट वितरित कराने की कार्यवाही प्रचलित है।
9. संबंधित अधिकारियों को फील्ड भ्रमण कर योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा जलापूर्ति की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
10. विभागीय स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी ग्राम में पेयजल आपूर्ति बाधित न हो तथा शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही की जाए।
11. जल जीवन मिशन अंतर्गत नियुक्त TPIA को निर्देशित किया जाता है कि योजनाओं का नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण निरीक्षण सुनिश्चित करने तथा कार्यों की गुणवत्ता, प्रयुक्त सामग्री, पाइपलाइन टेस्टिंग, इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों एवं जियो–टैग्ड अभिलेखों का सत्यापन कर निर्धारित समयावधि में निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने एवं गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर तत्काल विभाग को अवगत कराया जाए।

अतः अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन अंतर्गत समस्त कार्यों की सतत निगरानी की जा रही है एवं प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(एस0एस0 परमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्त–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2– मुख्य अभियन्ता(का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
2– अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
3– मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज ।
4– अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज।
5– जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज।

अधिशासी अभियन्ता

Mail-ID- upjnrprayagraj@upjn.co.in मो0.नं0. 9473942662

उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
खण्ड कार्यालय,तुलापुर पानी की टंकी, झूँसी,प्रयागराज।

पत्रांक 1124 / W-19 / 328 दिनांक 26.05.2026

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषयः— ई— दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक 25.05.2026 को प्रकाशित खबर ''स्वच्छ जल पहुंचाने में लापरवाही तो होगी कार्रवाई'' के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई—दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक 25.05.2026 को प्रकाशित खबर **''स्वच्छ जल पहुंचाने में लापरवाही तो होगी कार्रवाई''** शीर्षक के सम्बन्ध में अवगत कराना है मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज द्वारा जल जीवन मिशन योजनाओं की समीक्षा के दौरान कार्यों में विलंब, जलापूर्ति बाधाओं, विद्युत संयोजन, भूमि उपलब्धता, लीकेज एवं रोड रेस्टोरेशन संबंधी समस्याओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

इस संबंध में निम्नानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है—

1. जनपद अंतर्गत संचालित समस्त जल जीवन मिशन योजनाओं की दैनिक समीक्षा की जा रही है तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण कराने हेतु कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है।
2. जिन योजनाओं में विद्युत संयोजन लंबित है, वहां आवश्यक धनराशि जमा कर विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए शीघ्र संयोजन की कार्यवाही कराई जा रही है।
3. भूमि विवाद/भूमि उपलब्धता से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण हेतु संबंधित उपजिलाधिकारी स्तर पर बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है।
4. योजनाओं के पाइप लाइन लीकेज, मोटर खराबी एवं वितरण नेटवर्क संबंधी शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराया जा रहा है तथा संबंधित एजेंसियों को निगरानी हेतु निर्देशित किया गया है।
5. इंटेकवेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP), सीडब्ल्यूआर एवं पाइपलाइन कार्यों की प्रगति में तेजी लाने हेतु समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की गई है।
6. रोड रेस्टोरेशन कार्यों में गुणवत्ता सुधार हेतु संबंधित फर्मों को वर्षा ऋतु से पूर्व कार्य पूर्ण कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
7. जन सारथी एप के व्यापक प्रचार—प्रसार हेतु निर्देशित किया गया है ताकि ग्रामीण जनता अपनी पेयजल संबंधी शिकायतों/समस्याओं को सीधे दर्ज करा सके।
8. प्रत्येक राजस्व ग्राम में एफटीके (Field Test Kit) उपयोगकर्ता महिलाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रशिक्षित एवं किट वितरित कराने की कार्यवाही प्रचलित है।
9. संबंधित अधिकारियों को फील्ड भ्रमण कर योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा जलापूर्ति की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
10. विभागीय स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी ग्राम में पेयजल आपूर्ति बाधित न हो तथा शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही की जाए।
11. जल जीवन मिशन अंतर्गत नियुक्त TPIA को निर्देशित किया जाता है कि योजनाओं का नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण निरीक्षण सुनिश्चित करने तथा कार्यों की गुणवत्ता, प्रयुक्त सामग्री, पाइपलाइन टेस्टिंग, इलेक्ट्रो—मैकेनिकल उपकरणों एवं जियो—टैग्ड अभिलेखों का सत्यापन कर निर्धारित समयावधि में निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने एवं गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर तत्काल विभाग को अवगत कराया जाए।

अतः अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन अंतर्गत समस्त कार्यों की सतत निगरानी की जा रही है एवं प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

अतः सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(एस0एस0 परमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्त—

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2— मुख्य अभियन्ता(का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
2— अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
3— मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज ।
4— अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज।
5— जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज।

अधिशासी अभियन्ता